163

87

हरियाणा सरकार
बिजली विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 मार्च, 1995

संख्या 26/1/94-3 एम.आई.पी. - पंजाब बिजली (शुल्क) अधिनियम, 1958, की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार, बिजली विभाग, अधिसूचना संख्या 26/1/92-3 एम.आई.पी., दिनांक 30 जुलाई, 1992, और इस सम्बन्ध में जारी की गई सभी अन्य अधिसूचनाएं के अतिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल उनके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 2 में दर्शायी गई उपभोक्ताओं की श्रेणियों के लिए उक्त अनुसूची के खाना 3 में विनिर्दिष्ट बिजली शुल्क के खण्ड (स्लैब) विनिर्दिष्ट करते है और आगे इसके खाना 4 में प्रत्येक के सामने यथा वर्णित प्रत्येक खण्डों के लिए दरें विनिर्दिष्ट करते है :-

अनुसूची

क्रमांक संख्या	उपभोक्ता श्रेणी	खण्ड (एक मास में सप्लाई की गई ऊर्जा)	प्रति यूनिट बिजली शुल्क की दरें (पैसों में)
1	2	3	4
1.	घरेलू पूर्ति उपभोक्ता	(1) पहले 40 यूनिटों तक	10
		(2) 40 यूनिटों से अधिक	10
2.	वाणिज्यिक पूर्ति उपभोक्ता		10
3	औद्योगिक पूर्ति उपभोक्ता निम्न विभव/उच्च विभव औद्योगिक पूर्ति		10
4.	अधिकांश पूर्ति उपभोक्ता		10
5	सड़क प्रकाश उपभोक्ता		10

विष्णु भगवान
वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार
सिंचाई एवं बिजली विभाग।